SHRI A. P. CHATTERJEE: The hon. Minister just now has said that the Government is proceeding in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The provisions of the Criminal Procedure Code are exactly this that if the civil authorities are unable to quell any disturbance which is happening in front of them or in their presence and when an unlawful assembly is there and that assembly cannot be dispersed except with military help, then only can they call in the military. Otherwise, the military can be made to stand by in the barracks. And according to the Criminal Procedure Code, the military cannot be allowed or asked by the civil authorities to patrol the streets which they are doing in Assam, which is absolutely against law and which is absolutely against the provision of the Criminal Procedure Code.

Sir, in this connection, I may say that in West Bengal also during the months of February to March when troubles broke out over the food situation, we found that the military was called and it patrolled the streets. Even when there was no unlawful assembly existing and even when no disturbance actually was going on in the streets or in any of the localities, the military was patrolling the streets. That is exactly what is happening in Assam. I tell you as a lawyer that I have studied the provisions of the Criminal Procedure Code very well and very thoroughly and I can say, therefore, that the provision in the Criminal Procedure Code does not authorise the civil authorities to keep the military on the streets and patrol the streets; it can be kept in the barracks, it can be called only when it is absolutely necessary, when it is necessary to disperse an unlawful assembly which cannot be dispersed by mere police force. Now, what has the Minister to say about this? Why is the military patrolling the streets, why is it out of the barracks and why is it patrolling the streets in Shillong and other towns?

SHRI JAISUKHLAL HATHI: Sir, my information, as I said, is that the civil authorities have requisitioned this. But for this I have no further information.

SHRI BHUPESH GUPTA: There is a provision in the Criminal Procedure Code that that the civil authorities can call the Army. We know that. But a report has to be sent to the Central Government. The Military can be called at the request of appropriate authorities provided for under the law. May I know, Sir, if the Government have received any communication from the military authorities who are directly under the Central Government as to manner, how and why they have been called in and on what grounds?

SHRI JAISUKHLAL HATHI: I have only got this much information from the State Government. I have not received any further information from Assam.

REFERENCE TO CERTAIN OBSERVATIONS MADE IN THE FIFTY-FIFTH REPORT OF THE PAC REGARDING SHRI C. SUBRAMANIAM, THE FOOD MINISTER

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं अपनी राज्य सभा की प्रक्रिया नियमावली जो है उसकी 190 कलम के मुताबिक आपकी खिदमत में आना चाहता हूं। इसकी 190 वीं कलम विशेषाधिकार सम्बन्धी सवाल उठाती है।

श्री सभापति : आप इसी मामले पर बोल रहे हैं या किसी नए मामले पर ?

श्री राजनारायण : नए मामले पर। इस कलम के अन्दर आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी समय अगर कोई सवाल विशेषाधिकार से ताल्लुक रखता है तो उसके उठाने की इजाजत दे सकते हैं। इसलिये मैं आपकी खिदमत में इस कलम के सहारे आ रहा हूं।

बहुत ही दुख के साथ आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं . . .

श्री सभापति : कोई प्रीविलेज का मामला है ?

...जी।

श्री राज...

श्री सभा... मेरे ख्याल में आप नहीं ...

श्री रा...नारायण : मेरी बात पर विचार कर लें।

श्री ...पति : आप 187, 188 को भी देख लें।

श्री रा...नारायण : वे देख लिए हैं। 187 के बाद, 188, 189 और 190 देखकर ... आपकी खिदमत में आ रहा हूं।

श्री सभापति : मैंने देख लिया है। कोई ऐसा मामला उठे जिसमें कोई शख्स गैलरी से कुछ क...र, वह मामला फौरन यहां उठाया जा सकता है, वरना आपको नोटिस देना चाहिये और इजाजत लेनी चाहिए। यहां पर उठाया जा सकता है वह मामला जो यहां पर हो।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, जरा देख लिया जाये।

श्री अर्जुन ...रोड़ा (उत्तर प्रदेश) : नोटिस देकर ... जाए।

श्री राजनार...यण : अरोड़ा साहब को मैं मान लूं कि वह ...ा चेयर पर बैठे हैं। दोस्ती अच्छी है, मगर ... वह दोस्ती प्रापर चैनल से चलनी चाहिए। ... हमारी दोस्ती में कुछ हो जाता है तो आप ... अकड़ जाते हैं।

श्री स... : उस वक्त उन्हें मालूम होता है ... चेयर पर हैं।

... : मैं तो, श्रीमन्, आपके

...र रहा हूं कि कोई भी ... इस नियम के मुताबिक ...टिस देने की। कोई भी आवश्यकता नहीं है हमको किसी प्रीविलेज कमेटी में जाने के लिए लिखित नोटिस की।

जहां तक श्री सुब्रह्मण्यम जी का मामला है, एक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है जिसको इस सदन ने बनाया है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने सुब्रह्मण्यम् साहब के बारे में अपनी रपट पेश की है। एक रपट उनकी 50 वीं है। ब्यौरे से पढ़ने पर समय लगेगा, मगर जो भी सम्मानित सदस्य इस रपट को पढ़ लेंगे, वे इस नतीजे पर आ जाएंगे कि एक सेकिन्ड के लिए, एक पल के लिए इस रपट के प्रकाशित होने के बाद सुब्रह्मण्यम् को मंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि 55 वीं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक पैरा 4128-पुन: पी० ए० सी० के पास भेजा गया। पी० ए० सी० कमेटी अपनी उस राय को पूरा बना लेने के बाद फिर कन्सल्ट करती है। तो यह सदन अपने द्वारा निर्मित कमेटी के तथ्य और फाइन्डंग्स को मान्यता देता है। इस कमेटी ने एक रपट पेश की है और वह इन दि पजेशन आफ दि हाउस है, इस सदन के अधिकार में है। मैं यह समझता हूं कि पी० ए० एस० कमेटी ने श्री सुब्रह्मण्यम जी को कई जगहों पर गिल्टी पाया है और यहां तक कहा है कि इन्होंने अपने बयान में यह नहीं कहा जैसे 20 जुलाई को कम्पनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने आया था, उसको उन्होंने नहीं कहा था। यह बिलकुली सप्रेशन था।

श्री सभापति : राजनारायण जी, आप प्रासीजर का मामला उठा रहे हैं कि कोई प्रीविलेज का मामला बगैर नोटिस के इस हाउस में उठाया जा सकता है। यह आपको 190 से कैसे मिला?

श्री राजनारायण : 190 का तीसरा प्राविजो पढ़िए।

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE (Maharashtra): The hon. Member said that the Public Accounts Committee इन्होंने कहा कि पी० ए० सी० कमेटी ने पाया सुब्रह्मण्यम् जी गिल्टी है। यह कैसे बता सकते हैं? यह तो नहीं बताया।

श्री सभापति इस वक्त कोई मैटीरियल सवाल नही है। एक प्रामीजरल क्वेश्चन पर बहस कर रहे है कि एक मामला बगैर नोटिस के यहां उठाया जा सकता है। मैं उसको सुन रहा हूं।

श्रीमती ताराबाई साठे : उन्होंने बताया पी० ए० सी० कमेटी ने गिल्टी पाया है।

श्री के० के० शाह (महाराष्ट्र) यह तो वोटिंग में हो जाता है।

श्री सभापति 190 में कैसे है कि आप जब चाहे उठा सकते है।

श्री राजनारायण 190 का तीसरा प्राविजो पढ़े। यदि सभापति जी का विषय की अविलम्बनीय के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो प्रश्नों के निबटाए जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाए जाने की अनुमति दे सकेंगे। यह 190 का तीसरा प्राविजो है जिसमें चेयरमैन साहब को यह हक दे रहे हैं, यद्यपि मैं मानता हूं कि चेयरमैन साहब को इससे भी ज्यादा हक है जहां तक प्रीविलेज का सवाल है। अगर मैं जनाब चेयरमैन साहब का समाधान कर दूं कि यह विषय अविलम्बनीय है, यह पब्लिक इम्पारटेंस का है, अरजैंट है, इमीडिएट है, इसमें तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए तो चेयरमैन साहब सदन की सिटिंग में किसी भी समय इजाजत दे देंगे कि मैं उसको उठाऊं।

श्री सभापति : मैं इस मामले में इजाजत नहीं दूंगा। यह मामला सामने आ चुका है। प्रीविलेज का मोशन आ चुका है।

श्री राजनारायण ... मैं इतना ही निवेदन करूंगा ... मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं आप से ... करूंगा कि आपका जरूर यह वाक्य कहना ... हमको पूरी तरह से सुनने के बाद।

श्री सभापति मैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री राजनारायण . You are master of the situation. आप सदन ... जो भी आज्ञा देंगे उसको सिरोधार्य करूंगा ... जिस वक्त हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा उस वक्त आप से नम्रता से कहूंगा कि मैं आप से सहमत नहीं हूं और सदन का त्याग कर दूंगा।

श्री सभापति राजनारायण जी, आप मामले को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मामला होता जो हाउस के सामने न लाया गया होता तो और बात थी। यह तो आ चुका है, प्रीविलेज नोटिस मौजूद है श्री भूपेश गुप्त का। आप उस को फिर इस वक्त रेज करना चाहते हैं। आप का खुद एक मोशन है पी० ए० सी० ... की रिपोर्ट के बारे में। उसे मैंने मंजूर कर लिया है। ऐसी सूरत में इस वक्त उठाना मुनासिब नहीं है। बगैर इतला के उठाना ...

श्री राजनारायण वही तो अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापति : बगैर इतला के उठाने के लिए सूरत यह है कि कोई मामला यहां पेश हो जाय या गैलरी से कुछ करे तो उसी वक्त उस मामले को उठाने की इजाजत दी जा सकती है अगर मुनासिब हो। चेयरमैन को अख्तियार है लेकिन वह मामला उठ...

श्री राजनारायण :

हूं।

SHRIMATI TARA SATHE: Sir, why are y...

MR. CHAIRMAN : He thinks that he has something important.

श्री राजनारायण वही जो नजाकत है वह मै आपकी खिदमत मे अर्ज करना चाहता हू। मुझे अफसोस है कि शायद वह वाणी हमारे मे नही है जो अंग्रेजी बोलने वालों मे है, अंग्रेजी मे बोल देने से शायद मै समझा पाऊगा लेकिन मै समझता हूं कि आप उस तरह से असर मे नही आयेगे, आप तो हमारी हिन्दी को अच्छी तरह से समझ लेते है .

श्री सभापति थोड़ी बहुत तो समझता हू।

श्री राजनारायण मै यह अर्ज कर रहा हू कि किस ने उठाया है और किसने नही उठाया है यह सवाल गौण है। प्रिवलेज का सवाल जिस समय जिसने महत्व का किसी मेम्बर को अहसास हो वह उस समय उतने महत्व के साथ उठा सकता है। तो मै इस सदन का सदस्य हूं और मे समझ रहा हूं कि इस मामले मे एक मिनट, एक सेकेंड की देर नही होना चाहिये। मैने जब रात भर जाग कर के यह पूरी रिपोर्ट पढ़ी, पचासवी रिपोर्ट और पचपनवी रिपोर्ट पढ़ी, तब पढ़ने के बाद मे इस नतीजे पर आया हूं . .

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra). On a point of order

श्री राजनारायण जरा ठहरे।

श्री सभापति मै चाहता हूं कि इनको सुन लेने के बाद फैसला करूं।

SHRI M. M. DHARIA : My point of order is this. The hon. Member is trying to raise this issue under Rule 190. If we refer to Rule 188, it is very clear and it says :

> "A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary . . ."

श्री सभापति मै तो बता चुका हूं।

SHRI M. M. DHARIA : Let me have my say.

MR. CHAIRMAN : Everybody wants to have his say.

SHRI M. M. DHARIA . . . "before the commencement of the sitting". My point is that it was possible for the hon. Member to give notice prior to the commencement of the sitting. We should like to know the reasons why it was not possible for the hon. Member to give that notice and if he can convince the House or the Chairman, then one can understand that he can evoke the benefit of the proviso in 190. It is for the Member to convince this House why it was not possible for him to give that notice and when it was possible for Mr Gupta to give notice one day earlier and when he has read the report according to his own statement, last night, why that notice was not given earlier to the commencement of the sitting and if it is not so given, for the neglect on the part of the hon. Member this House should not be allowed to waste its time this way.

श्री राजनारायण श्रीमान, मे आपके जरिये अपने सम्मानित सदस्य का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे कर्तव्य का भान कराया। यह सही है कि सदन का यह अधिकार है कि सदन हमसे यह जाने कि मै अब इस समय इस रूप में नियम 190 की शरण क्यो ले रहा हू। तो, श्रीमान, कल जब माननीय भूपेश गुप्त ने प्रिवलेज का मोशन दिया और हमने सब्सटैंटिव मोशन दिया तो मै इस उम्मीद मे था और बिलकुल सही जानकारी के आधार पर इस उम्मीद मे था कि आज यह सवाल उठाया जायगा किसी भी तरीके से टलेगा नही . .

श्री अर्जुन अरोड़ा सही जानकारी नही थी।

श्री राजनारायण : जरा सुन लीजिये। मै इस उम्मीद मे था कि उठेगा चाहे श्री भूपेश गुप्त का जो प्रिविलेज मोशन है उसके द्वारा ही उठे। माननीय श्री भूपेश गुप्त

[श्री राजनारायण]
ने साफ कहा था कि उसमें आपका नाम ऐड हो जाना चाहिये, जाओ ऐड करवा दो। हमने माननीय सचिव से कहा, यह बैठे हुये हैं पूछ लें, कि उसमें ऐड कर दे और श्री भूपेश गुप्त ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा कि अब ऐड नहीं होगा हमने उसको भेज दिया है। फिर इसके बाद हमने सब्सटैंटिव मोशन दिया और हम इस अंडरस्टैंडिंग मे रहे कि हमारा सब्सटैंटिव मोशन आज आयेगा लेकिन जब वह सब्सटैंटिव मोशन हमारा नहीं आया और गुप्ता जी का प्रिविलेज मोशन नही आया तो सोचा कि क्या करें, इस प्रक्रियावलि को पढ़ा। हमारे दिमाग में तो था कि ऐसी चीज़ जरूर होनी चाहिए कि तत्काल महत्व की कोई चीज उठाई जा सके और चेयर को इतना अधिकार होना चाहिये। तो हमने इसको पढ़ा, हमारे पक्ष के समर्थन में नियमावलि में यह हिस्सा आया है और इसलिये मैं इसकी शरण में गया हूं।

श्री अर्जुन अरोड़ा : एक मिनट मैं कह दूं।

श्री राजनारायण : मै बैठ जाता हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन हूं।

श्री अर्जुन अरोड़ा : आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन है मगर आप धैर्य रखें। मेरा कहना है कि आज सुबह लिस्ट आफ बिजनेस आने के बाद आपको मालूम था कि जो आपका खयाल था वह गलत था और आज के आर्डर पेपर में आपका या किसी का प्रिविलेज का सवाल नहीं है, तब आपको यह मौका था कि सेशन शुरू होने के पहले आप नोटिस दे देते। लिस्ट आफ बिजनेस सुबह 7 या 8 बजे सब मेम्बरों के पास भेजी जाती है और सेशन 11 बजे शुरू होता है, इस बीच में आप क्यों सोते रहे।

श्री राजनारायण : जी हां, अरोड़ा साहब के सामने भी यह रोड़ा है, यद्यपि वह हैं अरोड़ा मगर अपने सामने अनेकों रोड़ों को पाते है, तो मै उनके रोड़े को हटाना चाहता हूं, रोड़ा क्या है जरा सुनेंगे सम्मानित सदस्य। इसी रोड़े को टालने के लिये मैं जनाब चेयरमैन साहब की खिदमत में सदन की कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट पहले हाजिर हुआ था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यह प्रिवलेज मोशन किसी न किसी हालत में आये और जो बात यहां कह रहा हूं उसी को इतने व्यौरे से नही मुख्तसर में—चेयरमैन साहब के चैम्बर में बताया था कि इस सवाल को आज हम उठाना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि उठायें ...

श्री अर्जुन अरोड़ा : उसका नोटिस दे देते।

श्री राजनारायण : अब जरा देखिये, सभापति जी, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी नही और टोकने लगे।

श्री सभापति : मैंने तो आपको पूरे से ज्यादा सुन लिया।

श्री राजनारायण : मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जब मै इस नतीजे पर हूं कि इस विषय पर चर्चा को एक मिनट के लिये भी टालना तमाम पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को भंग करना है, तमाम प्रोप्रायटी को भंग करना है और यह मिनिस्टर जो कि गिल्टी है, अपराधी है उसको अनावश्यक समय देना है कि वह अपनी पोजीशन को मजबूत करे तब मैं अपने साथ अन्याय करूंगा, इस सदन के साथ अन्याय करूंगा यदि मै नियम 190 के मातहत यहां आ कर आपसे इजाजत न मागू कि इस प्रिविलेज पर फौरन, तत्काल, बिना उस मिनिस्टर को सुने, विचार करने का मौका दिया जाय। उस मिनिस्टर को सुनने की आवश्यकता नही है, जो कुछ भी उस मिनिस्टर को कहना था वह कह चुका है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने और कोई नई चीजें नहीं कहने जा रहा है, इसलिये उनको सुनने के नाम पर इसको टाला नही जाना चाहिये, इसको फौरन यहां भेजा जाना

चाहिये। एक और काम यह हाउस, यह सदन, कर सकता है, अगर आप या अगर सदन इस राय के हों कि प्रिविलेज कमेटी में भी भेजने से क्या मतलब, सारा मामला साफ है। Everything is above board. हर चीजें साफ हैं तो देन एंड देयर, इमीडियेटली, यह हाउस यहां बैठकर उस पर फैसला ले ले। एक तरीका और हो सकता है जिसके बारे में मैं बहुत साफ नहीं हूं मगर मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं क्योंकि यह मसला लोक सभा में भी उठा है और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी दोनो सदन के मेम्बरों से बनती है तो दोनों सदन की एक मीटिंग हो ..

SHRI M. M. DHARIA : How this question comes in here ? This argument cannot come here.

श्री राजनारायण : बगैर सुने आप क्यों ऐसा कहते है।

तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाय, अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हो, आप इसको ढूंढें कि लोक सभा और राज्य सभा की एक ज्वाइंट सिटिंग हो और ज्वाइंट सिटिंग बैठकर के इस मसले पर हम विचार करें, आज करें, अभी करें या कल करें, जितनी जल्दी हो सके करें।

श्री सभापति आप खत्म कर दें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण : मेरा इतना ही निवेदन है कि आप हमारी इस भावना को जगह दें और सुब्रह्मण्यम् साहब के मामले पर, जो उनके जरिये सारी बंगलिंग हुई है और अब तक बेहयायी के साथ मंत्री-पद पर बने हुये हैं उसके बारे में, यह सदन अपना कोई निर्णय दे, और वर्डिक्ट देने के लिये सदन बैठ कर पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर विचार करे या उनके मामले को प्रिविलेज कमेटी के सामने लाकर के यह सदन फौरन फैसला करे। यह हमारा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : मैं आपको इस वक्त प्रिविलेज के सवाल को उठाने की इजाजत नही देता। प्रिविलेज का मामला गालिबन कल उठेगा, भूपेश गुप्त साहब ने जो नोटिस दिया है मौका इस पर गुफ्तगू के लिये जायेगा ताकि भूपेश गुप्त साहब यह मुझे समझायें कि मैं उसको स्वीकार कर लू, पहले तो मेरी कंसेंट उसमें चाहिये और उस कंसेंट के लिये मैं भूपेश गुप्त साहब से यह कहूंगा कि मुझे यह बतायें कि वह क्यों चाहिये। आपको तो मैंने सुन लिया। मेम्बर्स कल मुझे बतायेंगे कि प्रिविलेज क्यों बनता है।

श्री राजनारायण आखिर मेरा मोशन कब आयेगा, श्रीमान्, यह तो मालूम हो।

श्री सभापति : मोशन आपका एडमिट हो गया है नो-डेट-येट-नेम्ड-मोशन की तरह, जब प्रोग्राम में आयेगा तो पेश हो सकेगा।

श्री राजनारायण तब तो वह मोशन महत्वहीन हो जायगा।

श्री सभापति : तो मैं क्या करूं।

Shall we pass on to the next business ? It is 1 O'clock. The House stands adjourned till 2.30.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair

RESOLUTION *RE* LEVYING OF EXPORT DUTY ON CERTAIN COMMODITIES—*Contd.*

SHRI K. K. SHAH (Maharashtra) : Mr Vice-Chairman, Sir, my friend, Mr Bhupesh Gupta, was waxing eloquent on the question that the consumer would suffer because the export duty has been levied.